पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जनवरी, 2010 ई0 (पौष 12, 1931 शक सम्वत) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	01–13	1500
भाग 1–क–नियम, कार्यविधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	01–03	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

13 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 3739/XV–1/2(6)/2006–राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल पशुचिकित्सा (समूह 'ख') सेवा नियमावली, 2006 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा (समूह 'ख') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा (समूह 'ख') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 5 का प्रतिस्थापन–उत्तरांचल पशुचिकित्सा (समूह 'ख') सेवा नियमावली, 2006 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भाग तीन–भर्ती	भाग तीन–भर्ती
5. भर्ती का स्रोत–	5. भर्ती का स्रोत–
(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :
(क) पशु चिकित्सा अधिकारी–	(क) पशु चिकित्सा अधिकारी–
(एक) 98 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) 95 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(दो) 2 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पशुधन प्रसार अधिकारियों में से, जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी0वी0एससी0 एण्ड ए0एच0) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, उपाधि कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :	(दो) 5 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पशुधन प्रसार अधिकारियों में से, जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी0वी0एससी0 एण्ड ए0एच0) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उपाधि कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा :
परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अपेक्षित संख्या में अर्हता प्राप्त विभागीय पशुधन प्रसार अधिकारी उक्त पदोन्नति कोटा के प्रति उपलब्ध न हों, तो ऐसी स्थिति में शेष न भरे गये पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी :	परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अपेक्षित संख्या में अर्हता प्राप्त विभागीय पशुधन प्रसार अधिकारी उक्त पदोन्नति कोटा के प्रति उपलब्ध न हों, तो ऐसी स्थिति में शेष न भरे गये पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

परन्तु यह और कि ऐसे सभी विभागीय पशुधन प्रसार अधिकारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने इस नियमावली के प्रारम्भ पूर्व पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0) में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा और यदि वे उपयुक्त पाये जायें तो इस स्थिति में इस नियम में यथा विहित पदोन्नति कोटा के होते हुए भी वे पदोन्नत होंगे और तद्नुसार ऐसी सभी पदोन्नतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उक्त पदोन्नति कोटा में वृद्धि की जायेगी परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किये गये केवल प्रथम चयन में ही लागू होंगे।

आज्ञा से,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 3739/XV-1/2(6)/2006,** dated November 13, 2009 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 13, 2009

No. 3739/XV-1/2(6)/2006--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amending the Uttaranchal Veterinary (Group 'B') Service Rules, 2006 :-

THE UTTARAKHAND VETERINARY (GROUP 'B') SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Veterinary (Group 'B') Service (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

2. Substitution of Rule 5--In the Uttaranchal Veterinary (Group 'B') Service Rules, 2006 for the existing rule 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:--

Column-1	Column-2
Existing Rule	**Rule as hereby substituted**
Part III-Recruitment	**Part III-Recruitment**
5. Source of Recruitment--	**5. Source of Recruitment--**
(1) Recruitment to various categories of posts in the service shall be made from the following sources, namely :--	(1) Recruitment to various categories of posts in the service shall be made from the following sources, namely :--
(A) Veterinary Officer--	**(A) Veterinary Officer--**
(i) Ninety eight percent by direct recruitment through the Commission.	(i) Ninety Five percent by direct recruitment through the Commission.
(ii) Two percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed such departmental Livestock Extension Officer who has obtained a degree of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc & A.H.) from a University established by Law in India or a degree from any other institution recognized by the Government equivalent thereto :	(ii) Five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed such departmental Livestock Extension Officer who has obtained a degree of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc & A.H.) from a University established by Law in India or a degree from any other institution recognized by the Government equivalent thereto :

Provided that if in any year of recruitment the required number of qualified departmental Livestock Extension Officers are not available against the said promotion quota then in such situation the recruitment to the remaining unfilled posts shall be made by direct recruitment through the Commission :

Provided further that all such departmental Livestock Extension Officers who have obtained degree of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.) prior to commencement and if found fit be promoted irrespective of the promotional quota as prescribed in this rule and the said promotion quota shall be increased accordingly to accommodate all such promotions. This provision shall be applicable only in the first selection held after the commencement of these rules.

Provided that if in any year of recruitment the required number of qualified departmental Livestock Extension Officers are not available against the said promotion quota then in such situation the recruitment to the remaining unfilled posts shall be made by direct recruitment through the Commission.

By Order,

AJAY KUMAR JOSHI,

Principal Secretary.

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2009 ई0

संख्या 1951/I/2009–02(2)/10/2002–राज्यपाल, विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं0 36, सन् 2003) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2006 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(2) ये 7 मार्च, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2–नियम 19 का निरसन–

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 में नियम 19 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

3–निरसन एवं अपवाद–

ऐसे निरसन के होते हुए भी इस नियमावली द्वारा यथा संशोधित मूल नियमावली के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस नियमावली द्वारा यथा संशोधित मूल नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

शत्रुघ्न सिंह,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1951/I//2009-02(2)/10/2002,** dated December 17, 2009 for general information :

NOTIFICATION

December 17, 2009

No. 1951/I/2009-02(2)/10/2002--In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Governor is pleased to make the following rules, further to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 2006 :--

THE UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (SALARY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN AND MEMBERS) (AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairman and Members) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall be deemed to have come into force from the date of 7 March, 2006.

2. Repeal of Rule 19--

The rule 19 of the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 2006 is here by repealed.

3. Repeal and Saving--

Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal rule as amended by the amendment rule, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Principal Rule as amended by this amendment rule as if the provisions of this rule were in force at all meterial times.

By Order,

SHATRUGHNA SINGH,

Principal Secretary.

राज्य सम्पत्ति विभाग

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2009 ई0

संख्या 191 / XXXII / 2009–02(3)(4) / 2009–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य सम्पति विभाग वाहन चालक (संविलियन) नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 4 के उप नियम (1) का प्रतिस्थापन–

उत्तरांचल राज्य सम्पति विभाग वाहन चालक संविलियन नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4–(1) राजकीय विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालकों, जो राज्य सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के साथ दिनांक 31–12–2005 तक सम्बद्ध हैं, नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित मानकों, जैसा कि वह विहित करें, के अधीन आदेश द्वारा संविलियन करेंगे। इस प्रकार संविलियनित कर्मचारी संविलियन के आदेश की तिथि से संगत सेवा नियमावली में विहित अवधि तक परिवीक्षा में रहेंगे तथा परिवीक्षाकाल में कार्य सन्तोषजनक न होने पर वाहन चालक को सम्बन्धित विभाग/निगम/स्वायत्तशासी संस्था को वापस कर दिया जायेगा। संविलियन के लिए चालक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा संविलियन की तिथि को वाहन चालक की आयु 50 वर्ष से अधिक न होगी।	(1) राजकीय विभागों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के मौलिक रूप से नियुक्त वाहन चालकों, जो राज्य सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहनों के साथ दिनांक 31–12–2005 तक सम्बद्ध हैं, नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित मानकों, जैसा कि वह विहित करें, के अधीन आदेश द्वारा संविलियन करेंगे। इस प्रकार संविलियनित कर्मचारी संविलियन के आदेश की तिथि से संगत सेवा नियमावली में विहित अवधि तक परिवीक्षा में रहेंगे तथा परिवीक्षाकाल में कार्य सन्तोषजनक न होने पर वाहन चालक को सम्बन्धित विभाग/निगम/स्वायत्तशासी संस्था को वापस कर दिया जायेगा। संविलियन के लिए चालक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009 के जारी होने की तिथि दिनांक 28 जनवरी, 2009 को वाहन चालक की आयु 50 वर्ष से अधिक न होगी।

आज्ञा से,
उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 191/XXXII/2009-02(3)(4)/2009,** dated November 26, 2009 for general information :

NOTIFICATION

November 26, 2009

No. 191/XXXII/2009-02(3)(4)/2009--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India' the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Uttaranchal State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002 :--

THE UTTARAKHAND STATE ESTATE DEPARTMENT DRIVERS ABSORPTION (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called the Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (Fourth Amendment) Rules, 2009

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of Sub-rule (1) in Rule 4--

In the Uttaranchal State Estate Department Drivers (Absorption) Rules, 2002 for the existing sub-rule (1) of rule 4 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, as follows, namely :--

Eligibility for Absorption Rule 4

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule as hereby Substituted**
The Drivers of Government Departments/ Corporations/Autonomous Institution who are attached to the vehicles of the State Estate Department in the Secretariat upto 23-12-2001 or earlier shall be on probation for two years. There after their merger shall be done as Drivers State Estate Department on their	The Appointing Authority shall, by order, merge the substantially appointed Drivers of Government Departments/ Corporations/Autonomous Institutions who are attached to the vehicles of the Estate Department in the State Secretariat upto 31-12-2005 under the standards as may be prescribed by him. The employees

satisfactory service. The Driver shall be reverted back to the concerned Department/Corporation, if his work is not satisfactory during probation period, only the substantively appointed employee shall be concerned for merger. The Driver for the purpose fo merger shall be required to fulfil the prescribed standards for medical examination and as of the Driver shall not be more than 50 years on the date of merger.

after such merger shall be on probation for the period prescribed in the relevant rules from the date of order of merger and the Driver shall be reverted back to the concerned Department/Corporation/Autonomous Institution, if his work is not satisfactory during probation. The Driver for the purpose of merger shall be required to fulfil the prescribed standards for medical examination and on 28 January, 2009 the issuing date of the "Uttarakhand State Estate Department Drivers Absorption (Third Amendment) Rules, 2009" the Driver shall not be more than 50 years of age.

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Secretary.

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

विविध

09 दिसम्बर, 2009 ई0

संख्या 322/XXXVI(1)(एक)/2009–33–एक(4)/2004–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1991 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में और संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–नियम 3 का प्रतिस्थापन–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1991 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. वेतन–अध्यक्ष तीस हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा, उपाध्यक्ष छब्बीस हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा और सदस्य 22400–525–24500 रुपये के वेतनमान में प्रतिमाह वेतन प्राप्त करेगा : परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	3. वेतन–उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ हो, नियत वेतन

के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो या जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ हो, वेतन ऐसी सेवा निवृत्ति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा।

ऐसी सेवानिवृत्ति के समय उसे भुगतान किया गया या देय वेतन होगा :

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है, तो उसके उपर्युक्त वेतन से, पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व की तिथि पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यरत व्यक्ति को उसके इस रूप में अवशेष कार्यकाल की अवधि तक उसे तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत वेतन से राशिकरण के पूर्व पेंशन घटाकर वेतन मिलता रहेगा।

3–नियम 7 का प्रतिस्थापन–

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7. पेंशन–(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त अधिकरण का प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई पेंशन देय नहीं होगी– (एक) यदि उसने दो वर्ष से कम की सेवा की हो, या (दो) यदि उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटा दिया गया हो। (2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिये सात सौ रुपये प्रतिवर्ष की दर से की जायेगी और अधिकरण में चाहे जितने वर्ष की सेवा हो, पेंशन की अधिकतम धनराशि तीन हजार पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी : परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को देय पेंशन की कुल धनराशि किसी पेंशन की धनराशि के साथ (जिसमें पेंशन का सरांशीकृत भाग भी है) यदि कोई हो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सरकारी सेवक के रूप में अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसे अनुमन्य हो, वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या भारत सरकार के किसी सचिव को अनुमन्य पेंशन की अधिकतम धनराशि, इसमें जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी।	7. पेंशन–(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त अधिकरण का प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई पेंशन देय नहीं होगी– (एक) यदि उसने दो वर्ष से कम की सेवा की हो, या (दो) यदि उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटा दिया गया हो। (2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिये सात सौ रुपये प्रतिवर्ष की दर से की जायेगी और अधिकरण में चाहे जितने वर्ष की सेवा हो, पेंशन की अधिकतम धनराशि तीन हजार पांच सौ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी : परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को देय पेंशन की कुल धनराशि किसी पेंशन की धनराशि के साथ (जिसमें पेंशन का सरांशीकृत भाग भी है) यदि कोई हो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सरकारी सेवक के रूप में अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा की गयी सेवा के सम्बन्ध में उसे अनुमन्य हो, वह उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश या भारत सरकार के किसी सचिव को अनुमन्य पेंशन की अधिकतम धनराशि, इसमें जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी।

(3) उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य पेंशन के हकदार नहीं होंगे।

4–नियम 8 का प्रतिस्थापन–

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. भविष्य निधि–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य सामान्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अंशदान करने के लिये हकदार होंगे और इस प्रकार विकल्प करने की दशा में जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे : परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो उस पर अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे।	8. भविष्य निधि–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य सामान्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अंशदान करने के लिये हकदार होंगे और इस प्रकार विकल्प करने की दशा में उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगे : परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य था, तो वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो उस पर अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व प्रयोज्य थे : परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2009 के प्रवृत्त होने के बाद नियुक्त होने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के सम्बन्ध में भविष्य निधि की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

आज्ञा से,

आर0 डी0 पालीवाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 322/XXXVI(1)(ek)/2009-33-Ek(4)/2004,** dated December 09, 2009 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

December 09, 2009

No. 322/XXXVI(1)/EK/2009-33-EK(4)/2004--In exercise of the powers conferred by section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Tribunal) Act, 1976 (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Public Service Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1991 (as applicable to the State of Uttarakhand) :--

THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE TRIBUNAL (SALARIES AND ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRMAN, VICE-CHAIRMAN AND MEMBERS) (AMENDMENT) RULES, 2009

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called The Uttarakhand Public Service Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force at once.

2. Substitution of Rule 3--

In the Uttar Pradesh Public Service Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1991 (as applicable to the State of Uttarakhnad) herein after referred to as the principal rules, for the existing rule 3 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :--

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules as hereby substituted
3. Salary--The Chairman shall receive a pay of Rs. 30000/- per month, Vice-Chairman shall receive as pay of Rs. 26000/-- per month and a Member shall receive pay in the pay scale of Rs. 22400-525-24500 per month: Provided that the Salary of a person appointed as Chairman, Vice-Chairman or a Member who has been retired as a Judge of the High Court or who has been retired from Service under the Central or a State Government shall not be less than the salary paid or payable to him at the time of such retirement : Provided further that a person referred to in the first proviso who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension including commuted portion of pension, if any.	**3. Salary**--The salary of a person appointed as Chairman, Vice-Chairman or a Member retired as a High Court Judge or from Service under the Central or a State Government after the commencement of the Uttarakhand Public Service Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) (Amendment) Rules, 2009 shall be the salary paid or payable to him at the time of such retirement : Provided that a person appointed as Chariman, Vice-Chairman and Member who is in receipt of or has received any retirement benefits by way of pension, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension including the commuted portion of his pension, if any : Provided further that a person serving as Chairman, Vice-Chairman and Member on the date immediately before the commencement of the Uttarakhand Public Service Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) (Amendment) Rules, 2009 shall continue to receive pay minus the pension before commutation upto the remaining period of his service as such under the rules in force for the time being.

3. Substitution of Rule 7--

In the principal rules for the existing rule 7 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :--

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rules as hereby substituted
7. Pension--Every person appointed to the Tribunal as the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to pension : Provided that no such pension shall be payable- (i) if he has put in less than two years of service; or (ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub-section (10) of section 3 of the Act. (2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed years of service or a part there of and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of Pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum:	**7. Pension**--Every person appointed to the Tribunal as Chairman, Vice-Chairman or Member shall be entitled to pension : Provided that no such pension shall be payable- (i) if he has put in less than two years service; or (ii) if he has been removed from any post in the Tribunal under sub-section (10) of section 3 of the Act. (2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or part there of and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of Pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum:

Provided that the aggregate amount of pension payable to any person under this rule together with the amount of any pension (including commuted portion of pension), if any, admissible, to him in respect of the service rendered by him under these rules prior to his appointment in the Tribunal as Judge of High Court or as Government servant, shall not exceed the maximum amount of pension admissible to a judge of the High Court or a Secretary to the Government of India, whichever is more.

Provided that the total amount of pension payable to any person under this rule together with the amount of any pension (including commuted portion of pension), if any, admissible, to him in respect of the service rendered by him under these rules prior to his appointment in the Tribunal as High Court Judge or as Government servant, shall not exceed the maximum amount of pension admissible to High Court Judge or Secretary to the Government of India, whichever is more.

(3) The Chairman, Vice-Chairman and Member appointed after the commencement of the Uttarakhand Public Service Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) (Amendment) Rules, 2009 shall not be entitled to pension.

4. Substitution of Rule 8--

In the principal rules for the existing rule 8 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :--

Column-1

Existing Rule

8. Provident Fund--Chairman, Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund at his option and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985 :

Provided that it the Chairman, Vice-Chairman or a Member was Judge of a High Court or was a Member of an All India Service immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.

Column-2

Rules as hereby substituted

8. Provident Fund--Chairman, Vice-Chairman or a Member shall be entitled to contribute to the General Provident Fund on his/her option and in case of his/her so opting shall be governed by the Provisions of the Uttarakhand General Provident Fund Rules, 2006 :

Provided that if the Chairman, Vice-Chairman or a Member was High Court Judge or a Member of an All India Service immediately before joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal :

Provided further that the provision of provident fund shall not be applicable to the Chairman, Vice-Chairman or Members appointed after the commencement of The Uttarakhand Public Service Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) (Amendment) Rules, 2009.

By Order,

R. D. PALIWAL,

Secretary.

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

11 दिसम्बर, 2009 ई0

संख्या 2446/III(1)/09–100(अधि0)/09–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 10,000–325–15,200 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उनकी वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	नाम	
चयन वर्ष 2000–01 :		
1.	श्री रवि रंजन	
चयन वर्ष 2001–02 :		
2.	श्री पुरमल सिंह मर्तोलिया	
3.	श्री मदन सिंह ह्यांकी	
चयन वर्ष 2002–03 :		
4.	श्री पूरन कुमार आर्य	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
चयन वर्ष 2004–05 :		
5.	श्री दयानन्द	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
चयन वर्ष 2005–06 :		
6.	श्री मुलायम सिंह	
7.	श्री शूरवीर सिंह तोमर	
8.	श्री बिशन लाल	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
9.	श्री गुलाब राम	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
10.	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल	
11.	श्री तीरथ सिंह नेगी	
12.	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	
13.	श्री बदलू राम	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
14	श्री चन्द्रमोहन पाण्डे	
15.	श्री शिवकुमार राय	
16.	श्री योगेश लाल शैल	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
17.	श्री गिरीश चन्द्र विश्वकर्मा	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
18.	श्री चन्द्र पाल सिंह	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
19.	श्री छत्रपाल सिंह	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
20.	श्री शंकर राम	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
21.	श्री बैजनाथ चौधरी	अनु0 जाति श्रेणी के रिक्त पद पर
22.	श्री सुरेश चन्द्र आर्य	
23.	श्री अशोक कुमार	
24.	श्री जय प्रकाश गुप्ता	

क्र0सं0	नाम

चयन वर्ष 2006–07 :

25.	श्री अनिल कुमार
26.	श्री सुशील कुमार गुप्ता
27.	श्री प्रमोद कुमार जैन
28.	श्री विनोद कुमार विरदी

चयन वर्ष 2007–08 :

29.	श्री प्रेम सिंह नबियाल

2–उपरोक्त अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/20–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जनवरी, 2010 ई० (पौष 12, 1931 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

30 जुलाई, 2009 ई०

पत्रांक 1753/आयु०क०उत्तरा०/फार्म–अनु०/2009–10/आ०घो०प०/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे०दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–xvi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र०सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री फूड मैजिक इन्डिया प्रा०लि०, रुड़की, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–05	U.K VAT-A--2007-592666, 592667, 592668, 592669, 592670
2.	सर्वश्री तिरुपति एल०पी०जी० इण्डस्ट्रीज लि०, इण्ड० एरिया, सेलाकुई, देहरादून	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–04	U.K. VAT-A–2007-312999, 2373151, 2373152, 2373153

वी० के० सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन),
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विज्ञप्ति

23 सितम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 2611/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2008–09/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, प्रभारी आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी/फार्म–एफ" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री नेहा इण्डेन गैस सर्विस, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर	फार्म–सी–01	U.K. VAT-C--2007-224013
2.	सर्वश्री बायोस्टेट इन्डिया लि0, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर	फार्म–एफ–01	U.K. VAT-F--2007-001015
3.	सर्वश्री श्री सीमेंट लि0, श्याम मार्केट, बी0एस0एम0 तिराहा, रुड़की, हरिद्वार	फार्म–एफ–100	U.K. VAT-F--07-045390 से 045489

वी0 के0 सक्सेना,
प्रभारी आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विज्ञप्ति

01 अक्टूबर, 2009 ई0

पत्रांक 2719/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2009–10/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–xvi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री कोरस प्रिन्टर टैक्नो0 प्रा0लि0, पंतनगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–06	U.K. VAT-A--2007-840316, 840405, 1619294, 1649665, 2101714, 2101782
2.	सर्वश्री इस्पियम प्लास्टिक लि0, पंतनगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	U.K. VAT-A--2007-2101245
3.	सर्वश्री एल्यूडेकोर लेमिनेशन प्रा0लि0, सेक्टर–5, सिडकुल, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–01	U.K. VAT-B--2009-0761152
4.	सर्वश्री पुष्कर स्टील्स प्रा0 लि0, जशोधरपुर, कोटद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप–XVI)–06	U.K. VAT-A--2007-1513938, 1513939, 1513973, 2068531 U.K. VAT-B--2009-739107, 739126

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
5.	सर्वश्री मिण्डा इण्डस्ट्रीज लि0, सैक्टर—10, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप—XVI)—56	U.K. VAT-A--2007-34886, 34887, 40564, 40578, 40587, 40588, 40589, 40590, 40591, 40594, 40606, 40607, 40608, 213620, 213630, 221561, 221578, 221601, 221609, 221630, 221633, 226759, 226785, 794502, 794518, 794555, 794592, 794602, 794663, 794687, 794694, 794695, 794753, 940647, 940667, 940689, 940816, 940820, 940874, 940896, 940907, 941099, 1578009, 1578058, 1578114, 1578126, 1578143, 1578189, 1578210, 1578236, 1578242, 1578278, 1578320, 1578329, 1578337, 1578358

विज्ञप्ति

25 नवम्बर, 2009 ई0

पत्रांक 3621/आयु0क0उत्तरा0/फार्म—अनु0/2009—10/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून—उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररुप—xvi) जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूं :—

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री बनवारी लाल एसोसिएट्स प्रा0लि0, हरिद्वार	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप—XVI)—01	U.K. VAT-A-2007-2037840
2.	सर्वश्री क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, 102 चन्दरनगर, देहरादून	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप—XVI)—01	U.K. VAT-B-2009-1079942
3.	सर्वश्री अमर फार्मास्युटिकल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्दिरा कॉलोनी, काशीपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप—XVI)—01	U.K. VAT-B-2009-0011308
4.	सर्वश्री लाइनर्स इन्डिया लि0, सी—12, इण्डस्ट्रियल एरिया, रुद्रपुर	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप—XVI)—01	U.K. VAT-B-2009-0141902
5.	सर्वश्री जे0एम0डी0 फुटवियर, इण्डस्ट्रियल एरिया, सेलाकुई, देहरादून	आयात घोषणा पत्र (प्ररूप—XVI)—05	U.K. VAT-A-2007-1754507, 1754508, 1754509, 1754517, 1754518

वी0के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त (प्रशासन),
वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/20—भाग 1—क—2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।